राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 714/III/ 2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29.4.2014	यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 74 अ–1/04–05 में पारित आदेश दिनांक 05–09–06 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय में दिनांक 26–2–14 को प्रस्तुत की गई है। 2/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिये गये विवरण पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने। उन्होंने बताया कि आवेदक ने आयुक्त न्यायालय में पैरबी हेतु अभिभाषक नियुक्त किया, किन्तु अभिभाषक ने उसे यह नहीं बताया कि उनके व्दारा पैरबी हेतु अन्य अभिभाषक नियुक्त कर दिया है जिसके कारण वह सागर आकर प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सका, जब निगरानीकर्ता ने अभिभाषक से संपर्क किया तब संपूर्ण स्थिति की जानकारी मिली एंव दिनांक 22–1–14 को नकल प्राप्त होने पर निगरानी की गई है, जिसके कारण विलम्ब क्षमा किया जावे। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि जब दिनांक 22–1–14 को आयुक्त के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मिल चुकी है, तब दिनांक 22–1–14 से निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 26–2–14 तक के दिन प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया	

है जहॉ तक अभिभाषक व्दारा आवेदक को समय पर जानकारी न दिये जाने का प्रश्न है ? विचार योग्य है –

1. भू–राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.)–धारा–47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – विलंब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का स्पष्ट श्रोत नहीं दर्शाया गया – प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं – विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है– आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया– आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी – प्रथक से सूचना देना आवश्यक नहीं है।
3. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 74 अ–1/04–05 में पारित आदेश दिनांक 05–09–06 के विरूद्व दिनांक 26–2–14 अर्थात 07 वर्ष 05 माह विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर